कार्यालय : अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची।

वन भवन, डोरण्डा, राँची

e-mail : pccf-development@gov.in ☎ - 0651-2481813/ 7209864111

पत्रांक : 01/यो0ब0–56/2022– 478 दिनांक : 03/08/26

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, हजारीबाग पूर्वी वन प्रमण्डल/ हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल/ चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल/ चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल/ गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमण्डल/ गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल/ रामगढ़ वन प्रमण्डल/राँची वन प्रमण्डल/गुमला वन प्रमण्डल/लोहरदगा वन प्रमण्डल/ जमशेदपुर वन प्रमण्डल/सरायकेला वन प्रमण्डल/साहेबगंज वन प्रमण्डल/ सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, सिमडेगा/सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, राँची

विषय :– वित्तीय वर्ष 2026–27 में कार्यान्वित की जाने वाली ''अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू–संरक्षण'' योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत अवकृष्ट वनों का पुनर्वास कार्य का सम्पोषण कार्य (पंचम वर्ष) हेतु कुल **रू0 266.59 लाख (दो करोड़ छियासठ लाख उनसठ हजार रूपये)** मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

प्रसंगः– विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4/यो0ब0–35/2022–29/स्वी0 व0प0 दिनांक 13.02.2023 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 4/यो0ब0–35/2022–69 OA व0प0 दिनांक 17.07.2026 ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष 2406– वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष–01 वानिकी, लघु शीर्ष–101 वन संरक्षण, विकास तथा सम्पोषण, उप शीर्ष–58–अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू–संरक्षण योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026–27 में उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में कुल **रू0 266.59 लाख (दो करोड़ छियासठ लाख उनसठ हजार रूपये)** मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है:–

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S24060110158010103	245.29
आपूर्ति एवं सामग्री	19S24060110158010323	21.30
कुल :–		**266.59**

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी **अनुलग्नक–1** पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे जो अपने समुख अंकित कार्यों की राशि से अपने–अपने कार्यालयों के कार्यो के लिए उत्तरदायी होंगे एवं विभाग को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। कार्यदर **अनुलग्नक–2** तथा ऑन लाईन उप आवंटन की प्रति **अनुलग्नक–3** पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या–19S24060110158010103 एवं 19S24060110158010323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

4. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक–2561, दिनांक–17.04.1998 एवं समय–समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्रों के अनुरुप किया जायेगा।

5. राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/उप कोषागार से की जायेगी तथा झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम–174 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जायेगा।

6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा।

7. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड होंगे,

8. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत् अनुश्रवण एवं तकनीकी पक्षों पर कार्यान्वयन प्रभाग/कार्यान्वयन एजेन्सी का मार्गदर्शन किया जाएगा।

9. योजना के लिए निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरूद्ध प्रगति प्रतिवेदन से इस कार्यालय को प्रत्येक तीन माह पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अवगत करायेंगे।

10. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी नियमित रुप से राशि का व्यय, समायोजन तथा प्रमंडलीय लेखा में प्रवृष्टि करेंगे। ससमय लेख प्रेषण सुनिश्चित करने की समीक्षा की जायेगी।

11. नियमित निर्धारित अन्तराल पर सभी आवश्यक समीक्षा एवं नियमावली में अंकित बैठकों का आयोजन सक्षम स्तर पर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास द्वारा किया जाएगा। यह online video conferencing इत्यादि के माध्यम से भी की जा सकती है।

12. ऐसी कार्यान्वयन एजेन्सी जिनका कार्य संतोषप्रद न हो तथा जहाँ आवश्यक सुधार की आवश्यकता हो, इस संबंधी सूचना इस कार्यालय को दी जाए।

13. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई duplication अन्य केन्द्रीय/राज्य योजना से नहीं हो, यथा कैम्पा, वन्यप्राणी पर्यावास का समेकित विकास, पलामू व्याघ्र परियोजना, वन अग्नि रोकथाम एवं प्रबंधन योजना, हाथी परियोजना इत्यादि।

14. दो या दो से अधिक स्रोत से प्राप्त धनराशि का भौतिक/वित्तीय व्यौरा स्पष्ट रुप से अंकित रखा जायेगा।

15. विभिन्न आय स्रोतों पर धन राशि व्यय हो रही है, गत 3 वर्ष में आमदनी का व्यौरा भी स्पष्ट किया जाए। यह राशि कोषागार में जमा की जाए। कंउम सामग्री का निष्पादन विविधत स्थापित प्रक्रिया के तहत किया जाए। स्टॉक पंजी इत्यादि तद्नुसार सत्यापित एवं update रहे।

16. Monitoring विभिन्न कंडिकाओं में अंकित निर्देशों के साथ–साथ निम्न व्यवस्था की जायेगी :–

(i) योजना का सामाजिक अंकेक्षण पूर्व तीन वर्षों का कराया जाए। वित्तीय वर्ष 2022–23 से नियमित रूप से सामाजिक अंकेक्षण कराया जायेगा।

(ii) तृतीय पक्ष मूल्यांकन (बाह्य मूल्यांकन) प्रतिष्ठित संस्थान से कराया जाए।

(iii) विभागीय स्थापित Monitoring व्यवस्था के अतिरिक्त राज्य सरकार Monitor भारत सरकार के पैट्रन पर योजना Monitoring के लिए अधिकृत कर सकती है।

17. (i) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन 100% निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य को प्राप्त करना सुनिश्चित किया जायेगा।

(ii) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण निर्धारित 100% भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अनुरुप करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जाएगा।

(iii) निरीक्षण प्रतिवेदन प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक अपनी नियंत्री पदाधिकारी (अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड) को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा।

(iv) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी sub-disbursal से भुगतान ब्यौरा प्राप्त करके उसका सत्यापन कर सकेंगे। मास्टर रोल में बैंक account no. के साथ फोन नम्बर (यथा संभव) भी एकत्र किया जाय।

(v) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा योजना कार्यान्वयन के पूर्व स्थल विशेष प्राक्कलन पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर लिया जाएगा।

(vi) योजना का ब्यौरा विभागीय पोर्टल पर संधारित किया जाय। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी एक स्थाई प्लेटफार्म e-green watch/MGNREGA इत्यादि के पैर्टन पर तैयार करायें।

(vii) सभी भुगतान DBT या सीधे बैंक खाते में श्रमिकों तथा सामग्री आपूर्तिकर्त्ता को किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति मे नगद भुगतान नहीं किया जायेगा।

(viii) बैंक स्टेटमेंट भी sub-disbursal का साक्ष्य मास्टर रोल/भाउचर के साथ प्राप्त कर लें ताकि नियमित भुगतान की समीक्षा की जा सके। इसका सत्यापन विपत्र पारित करने तथा लेखा समायोजन में किया जाय।

(ix) Income tax (IT)/ Service Tax (GST/VAT)/ Mines Royality के तहत जहाँ at-source कटौती करना है, यह कटौती DDO/sub-disbursal सुनिश्चित करेगें तथा ससमय return जमा करेगें।

18. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

(i) सभी यंत्र–संयत्र, मशीन उपकरण आदि का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करते हुए वित्तीय नियमों के अनुपालन पश्चात् मशीन उपकरण एवं सामग्रियों का क्रय e-GEMS से किया जाय।

(ii) वैसे यंत्र–संयत्र एवं मशीन उपकरण जिनका क्रय e-GEMS के माध्यम से नहीं हो सकता है, उनका क्रय निविदा आमंत्रित करके की जाएगी यथा संभव e-tender का पालन किया जाय। ऐसे मामले जहाँ e-tender संभव नहीं है, योजना के नियंत्री पदाधिकारी से विधिवत लिखित अनुमति प्राप्त कर निविदा आमंत्रित किया जाय। निविदा आमंत्रण में CVC की मार्गदर्शिका का पालन किया जाय।

19. COVID-19 के रोकथाम के संबंध में संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी का यह दायित्व रहेगा कि जहाँ–जहाँ मजदूरों से कार्य लिया जायेगा उनसे Social distancing तथा उनके मास्क का प्रयोग अनिवार्य रखा जायेगा। हैन्डवास इत्यादि की समुचित व्यवस्था की जाय।

20. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते के माध्यम से ही किया जायेगा। साथ ही सामग्री के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक–1204 दिनांक– 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

21. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास को तुरंत देंगें। निकासी पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगें कि योजना में निहित कार्यों का दोहरीकरण न हों।

22. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या–940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/ मुख्य वन संरक्षक को अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार की जाए।

23. इस योजनांतर्गत वानिकी कार्यों का संपादन विभागीय अधिसूचना संख्या–2371 दिनांक 05.05.2015 में निरुपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जानेवाले ऐसे कार्य जिनकी दर विभागीय अधिसूचना सं0–2371 दिनांक 05.05.2015 में निरुपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरुप किया जायेगा तथा विभागीय कार्यालय आदेश संख्या–सह–ज्ञांपाक–686, दिनांक–05.02.2016 द्वारा विभाग के अंतर्गत वृक्षारोपण कार्यों को छोड़कर अन्य कार्यों तथा सेवाओं के लिए गठित Procurement Committee की अनुशंसा के अनुरुप कार्रवाई की जायेगी।

24. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही Account Code Vol (III) की धारा 297 के प्रावधानों के अनुरुप सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरुप निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संवितरकों के खाते का मासिक लेखा/लेजर वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/अन्य नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को समर्पित कराना सुनिश्चित करायेंगे।

25. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक–3542, दिनांक–19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरुप किया जायेगा ।

26. योजना का कार्यान्वयन विभागीय संकल्प संख्या 04/यो0ब0–24/2020–2517 दिनांक 24.06.2026 द्वारा निर्गत दिशा–निदेश के अनुरुप किया जायेगा।

अनुलग्नक :– यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक– 01/यो0ब0–56/2022–478 दिनांक–03/08/26

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, दक्षिणी छोटानागपुर, राँची/ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग/बोकारो/ राँची/जमशेदपुर/दुमका/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, हजारीबाग/चतरा/बोकारो/ गिरिडीह/राँची/ गुमला/जमशेदपुर/दुमका/ एनवीस सेन्टर, डोरण्डा, राँची/पी0एम0यू0 सेल, कार्यालय–वन संरक्षक, योजना अंचल, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :– यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक– 01/यो0ब0–56/2022–478 दिनांक–03/08/26

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, हजारीबाग/चतरा/ गिरिडीह/रामगढ़/डोरण्डा, राँची/गुमला/लोहरदगा/जमशेदपुर/ सरायकेला–खरसावां/ साहेबगंज/ सिमडेगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :– यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

अनुलग्नक–

वित्तीय वर्ष 2026–27 में कार्यान्वित की जाने वाली ''अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू–संरक्षण'' योजना (अन्य व्यय) के अवकृष्ट वनों का पुनर्वास (1000 पौधा प्रति हे0) का सम्पोषण कार्य (पंचम वर्ष) का प्रमण्डलवार उप आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

(राशि लाख में)

क्र. सं.	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	भौतिक लक्ष्य (हे0 में)	वित्तीय लक्ष्य		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
			16354.73	**1419.86**	**17774.59**
i	ii	iii	iv	v	vi
1	हजारीबाग पूर्वी वन प्रमण्डल	100.00	16.35	1.42	17.77
2	हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल	100.00	16.35	1.42	17.77
3	चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल	100.00	16.35	1.42	17.77
4	चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल	50.00	8.18	0.71	8.89
5	गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमण्डल	150.00	24.53	2.13	26.66
6	गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल	100.00	16.35	1.42	17.77
7	रामगढ़ वन प्रमण्डल	50.00	8.18	0.71	8.89
8	राँची वन प्रमण्डल	150.00	24.53	2.13	26.66
9	गुमला वन प्रमण्डल	50.00	8.18	0.71	8.89
10	लोहरदगा वन प्रमण्डल	100.00	16.35	1.42	17.77
11	जमशेदपुर वन प्रमण्डल	100.00	16.35	1.42	17.77
12	सरायकेला वन प्रमण्डल	100.00	16.35	1.42	17.77
13	साहेबगंज वन प्रमण्डल	200.00	32.71	2.84	35.55
14	सा0वा0 प्रमण्डल, सिमडेगा	100.00	16.35	1.42	17.77
15	सा0वा0 प्रमण्डल, राँची	50.00	8.18	0.71	8.89
योग :–		**1500.00**	**245.29**	**21.30**	**266.59**

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

अनुलग्नक–

वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए वृक्षारोपण योजना की अनुसूचित कार्य दर

योजना का नाम : अवकृष्ट वनों का पुनर्वास वृक्षारोपण

पौधों की संख्या प्रति हे0 : 1000 पौधे　　　　　　　　　　मजदूरी दर : 468.00 प्रति मानव दिवस

स्पेसिंग 3 मी. X 3 मी. अथवा 2 मी. x 2 मी. अथवा 3 मी. x 2 मी. (रिक्त स्थान की उपलब्धता अनुसार)

(A)	सम्पोषण कार्य (पंचम वर्ष)						
1	एक कोड़नी–निकौनी	हे0	14.00	6552.00	0.00	6552.00	
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी0ए0पी0 / यूरिया, जैविक खाद, किटनासक आदि)	हे0	0.00	0.00	1419.86	1419.86	
3	पौधों की सुरक्षा (25 हे0 तक)	स्थल	14.60	6832.80	0.00	6832.80	
4	घेरान की मरम्मत	6 चेन प्रति हे0	6.00	2808.00	0.00	2808.00	
5	लेबर सेस मजदूरी का 1 प्रतिशत			161.93	0.00	161.93	
	योग :–		**34.60**	**16354.73**	**1419.86**	**17774.59**	

नोट (1) अग्रिम कार्य आरम्भ करने के समय लागू दैनिक मजदूरी दर पर अग्रिम एवं समापन कार्य योजना की कुल लागत राशि का 15 प्रतिशत राशि संबंधित ग्राम में प्रवेश बिन्दु कार्यो पर प्रथम वर्ष में व्यय की जायेगी।

(2) स्थल विशिष्ठ प्राक्कलन अनुसूचित दरों पर तैयार किये जाऐंगे, जिसमें झाड़ी सफाई एवं घेरान कार्य पूर्णरुपेण आवश्यकतानुसार किया जाएग इस कारण मजदूरी मद में राशि की व्यय 20% से ज्यादा या कम हो सकता है।

(3) सुरक्षा कार्य में मजदूरों का नियोजन वन से सबंधित ग्रम के स्थानीय मजदूरों को नियोजित कर किया जाएगा।

(4) जैविक खाद, शोध पौधशालाओं से एवं रासयनिक खाद का क्रय पैक्स एण्ड लैम्पस (**PACS & LAMPS**) से अथवा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से की जाएगी।

(5) तकनीकी स्वीकृत में स्थल विशिष्ट में रोपित की जाने वाली प्रजातियों का उल्लेख किया जाय।

(6) पौधों का रोपण पूर्व से स्थापित वृक्षों के नीचे नहीं किया जाय।

(7) झाड़ी सफाई में फलदार एवं अन्य महत्वपूर्ण वृक्षों को न काटा जाय।

3/7

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है ।

पत्र संख्या - 01/yb-56/2022/478 **दिनांक -** 03-Aug-2026

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 24060110158010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	49388	HZBFWL009 VIKASH KUMAR UJJWAL DIV. FOREST OFFICE[illegible] EAST 03 - मजदूरी	1,635,000.00 रुपये सोलह लाख पैतीस हजार
2	S 19 24060110158010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	49389	HZBFWL005 MAUN PRAKASH D.F.O., HAZARIBAG WEST DIV,HZB 03 - मजदूरी	1,635,000.00 रुपये सोलह लाख पैतीस हजार
3	S 19 24060110158010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	49391	CTRFOR002 RAHUL MEENA D.F.O, NORTH DIV. CHATRA 03 - मजदूरी	1,635,000.00 रुपये सोलह लाख पैतीस हजार

योग: रुपये उनचास लाख पाँच हजार 4,905,000.00

क्रमिक योग:

(DESETTI VENKATESWARLU)
ADDL PCCF DEV JHARKHAND
RANCHI

 10.92.23.5 **Run Date:** 3/8/2026

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	S 19 24060110158010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	49392	CTRFOR003 MUKESH KUMAR D.F.O. SOUTH DIVN. CHATRA 03 - मजदूरी	818,000.00 रुपये आठ लाख अठारह हजार
5	S 19 24060110158010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	49393	GRDFOR003 ANKIT KUMAR SINGH D.F.O. GIRIDIH WEST FOR. DIV. 03 - मजदूरी	2,453,000.00 रुपये चौइस लाख तीरपन हजार
6	S 19 24060110158010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	49394	GRDFOR001 MANISH KUMAR TIWARI DFO GIRIDIH EAST FOR.DIV. 03 - मजदूरी	1,635,000.00 रुपये सोलह लाख पैतीस हजार

योग: रुपये अठानवे लाख ग्यारह हजार 4,906,000.00

क्रमिक योग: 9,811,000.00

3/8

(DESETTI VENKATESWARLU)
ADDL PCCF DEV JHARKHAND
RANCHI

 10.92.23.5 Run Date: 3/8/2026

पत्र संख्या - 01/yb-56/2022/478 दिनांक - 03-Aug-2026

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
7	S 19 24060110158010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	49395	HZBFOR001 NITISH KUMAR DIV. FOREST OFFICEI RAMGARH 03 - मजदूरी	818,000.00 रुपये आठ लाख अठारह हजार
8	S 19 24060110158010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	49398	DRNFWL013 SRIKANT VERMA DFO. RANCHI FOREST DIVISION RA 03 - मजदूरी	2,453,000.00 रुपये चौइस लाख तीरपन हजार
9	S 19 24060110158010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	49400	GMLFOR001 AHMAD BELAL ANWAR D.F.O. GUMLA 03 - मजदूरी	818,000.00 रुपये आठ लाख अठारह हजार

योग: रुपये एक करोड उनचालीस लाख 4,089,000.00

क्रमिक योग: 13,900,000.00

(DESETTI VENKATESWARLU)
ADDL PCCF DEV JHARKHAND
RANCHI

पत्र संख्या - 01/yb-56/2022/478 दिनांक - 03-Aug-2026

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
10	S 19 24060110158010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	49401	LDGFOR001 ABHISHEK KUMAR DIV.FOREST OFFICEF 03 - मजदूरी	1,635,000.00 रुपये सोलह लाख पैतीस हजार
11	S 19 24060110158010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	49403	JSRFOR051 SHABA ALAM ANSARI D.F.O.JAMSHEDPUR PRM.JSR. 03 - मजदूरी	1,635,000.00 रुपये सोलह लाख पैतीस हजार
12	S 19 24060110158010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	49407	SKLFOR001 SHABA ALAM ANSARI I/C D.F.O.SERAIKELLA-KHARSAWA 03 - मजदूरी	1,635,000.00 रुपये सोलह लाख पैतीस हजार

योग: रुपये एक करोड अठयासी लाख पाँच हजार 4,905,000.00

क्रमिक योग: 18,805,000.00

(DESETTI VENKATESWARLU)
ADDL PCCF DEV JHARKHAND
RANCHI

 10.92.23.5 Run Date: 3/8/2026

पत्र संख्या - 01/yb-56/2022/478 दिनांक - 03-Aug-2026

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
13	S 19 24060110158010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	49409	SBJFOR001 PRABAL GARG DIV.FOR.OFF.SAHIBG NJ 03 - मजदूरी	3,271,000.00 रुपये बत्तीस लाख इकहत्तर हजार
14	S 19 24060110158010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	49412	SDGAIF002 AMARNATH BHAGAT DIV. F O SOC. FORESTRY SIMDEGA 03 - मजदूरी	1,635,000.00 रुपये सोलह लाख पैतीस हजार
15	S 19 24060110158010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	49417	DRNFWL004 VINAY KANT MISRA DFO.SOCIAL FORESTRY DIV.RANCHI 03 - मजदूरी	818,000.00 रुपये आठ लाख अठारह हजार

योग: रुपये दो करोड पैंतालीस लाख उन्तीस हजार 5,724,000.00

क्रमिक योग: 24,529,000.00

(DESETTI VENKATESWARLU)
ADDL PCCF DEV JHARKHAND
RANCHI

पत्र संख्या - 01/YB-56/2022/478 दिनांक - 03-Aug-2026

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
16	S 19 24060110158010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	49464	HZBFWL009 VIKASH KUMAR UJJWAL DIV. FOREST OFFICER EAST 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	142,000.00 रुपये एक लाख बयालीस हजार
17	S 19 24060110158010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	49467	HZBFWL005 MAUN PRAKASH D.F.O., HAZARIBAG WEST DIV,HZB 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	142,000.00 रुपये एक लाख बयालीस हजार
18	S 19 24060110158010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	49470	CTRFOR002 RAHUL MEENA D.F.O, NORTH DIV. CHATRA 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	142,000.00 रुपये एक लाख बयालीस हजार

योग: 426,000.00

क्रमिक योग: रुपये दो करोड उनचास लाख पचपन हजार 24,955,000.00

(DESETTI VENKATESWARLU)
ADDL PCCF DEV JHARKHAND
RANCHI

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
19	S 19 24060110158010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	49472	CTRFOR003 MUKESH KUMAR D.F.O. SOUTH DIVN. CHATRA 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	71,000.00 रुपये इकहत्तर हजार
20	S 19 24060110158010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	49474	GRDFOR003 ANKIT KUMAR SINGH D.F.O. GIRIDIH WEST FOR. DIV. 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	213,000.00 रुपये दो लाख तेरह हजार
21	S 19 24060110158010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	49477	GRDFOR001 MANISH KUMAR TIWARI DFO GIRIDIH EAST FOR.DIV. 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	142,000.00 रुपये एक लाख बयालीस हजार

योग: 426,000.00

क्रमिक योग: रुपये दो करोड तीरपन लाख इक्कयासी हजार 25,381,000.00

(DESETTI VENKATESWARLU)
ADDL PCCF DEV JHARKHAND
RANCHI

पत्र संख्या - 01/YB-56/2022/478 दिनांक - 03-Aug-2026

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
22	S 19 24060110158010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	49479	HZBFOR001 NITISH KUMAR DIV. FOREST OFFICEI RAMGARH 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	71,000.00 रुपये इकहत्तर हजार
23	S 19 24060110158010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	49481	DRNFWL013 SRIKANT VERMA DFO. RANCHI FOREST DIVISION RA 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	213,000.00 रुपये दो लाख तेरह हजार
24	S 19 24060110158010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	49483	GMLFOR001 AHMAD BELAL ANWAR D.F.O. GUMLA 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	71,000.00 रुपये इकहत्तर हजार

योग: 355,000.00

क्रमिक योग: रुपये दो करोड सत्तावन लाख छत्तीस हजार 25,736,000.00

(DESETTI VENKATESWARLU)
ADDL PCCF DEV JHARKHAND
RANCHI

 10.92.23.5 Run Date: 3/8/2026

पत्र संख्या - 01/YB-56/2022/478 दिनांक - 03-Aug-2026

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
25	S 19 24060110158010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	49485	LDGFOR001 ABHISHEK KUMAR DIV.FOREST OFFICEF 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	142,000.00 रुपये एक लाख बयालीस हजार
26	S 19 24060110158010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	49487	JSRFOR051 SHABA ALAM ANSARI D.F.O.JAMSHEDPUR PRM.JSR. 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	142,000.00 रुपये एक लाख बयालीस हजार
27	S 19 24060110158010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	49488	SKLFOR001 SHABA ALAM ANSARI I/C D.F.O.SERAIKELLA-KH ARSAWA 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	142,000.00 रुपये एक लाख बयालीस हजार

योग: 426,000.00

क्रमिक योग: रुपये दो करोड इकसठ लाख बासठ हजार 26,162,000.00

(DESETTI VENKATESWARLU)
ADDL PCCF DEV JHARKHAND
RANCHI

 10.92.23.5 Run Date: 3/8/2026

पत्र संख्या - 01/YB-56/2022/478 दिनांक - 03-Aug-2026

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
28	S 19 24060110158010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	49490	SBJFOR001 PRABAL GARG DIV.FOR.OFF.SAHIBG NJ 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	284,000.00 रुपये दो लाख चौरासी हजार
29	S 19 24060110158010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	49492	SDGAIF002 AMARNATH BHAGAT DIV. F O SOC. FORESTRY SIMDEGA 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	142,000.00 रुपये एक लाख बयालीस हजार
30	S 19 24060110158010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	49495	DRNFWL004 VINAY KANT MISRA DFO.SOCIAL FORESTRY DIV.RANCHI 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	71,000.00 रुपये इकहत्तर हजार

योग: रुपये दो करोड छाछठ लाख उनसठ हजार 497,000.00

क्रमिक योग: 26,659,000.00

(DESETTI VENKATESWARLU)
ADDL PCCF DEV JHARKHAND
RANCHI

 10.92.23.5 Run Date: 3/8/2026